>

Title: Need to check the reported incidents of harassment against women in Maharashtra and other parts of the country.

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक बहुत गंभीर मामले पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महाराष्ट्र में तीन दिन पूर्व एक परिवार की तीन बच्चियां स्कूल से नहीं लौटी थीं, जिनकी उम्र छः साल, आठ साल और 11 साल थी। ये नाबालिग बच्चियां स्कूल से नहीं लौटी थीं, इसलिए उसकी मां और उसके रिश्तेदार पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज कराने के लिए गए तो वहां उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। दूसरे दिन सुबह पता चला कि इन तीनों बच्चियों की हत्या करके इनको एक सूखे कुंए में डाल दिया गया था। इसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें यह पुष्टि हुई है कि इन तीनों बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया था, जिनकी उम्र बहुत कम थी। इन तीनों बच्चियों की हत्या की गई है। मैं आपके सामने यह मामला इसलिए रख रहा हूं कि जो विधवा मां है, वह जब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गई तो वहां उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अगर वक्त पर उसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई होती तो शायद इन तीनों बच्चियों के साथ बलात्कार भी नहीं होता और इनकी जान भी बच जाती। इस मामले को लेकर भंडारा जिला तीन दिनों से बंद है। वहां हड़ताल की जा रही है। इसी तरह की एक अन्य घटना यवतमाल जिला में महाराष्ट्र में हुई। एक ढाई साल की बच्ची के माता-पिता मजदूरी करने के लिए गए हुए थे। उस बच्ची को किसी व्यक्ति ने उसके घर से उठा लिया और उसके साथ बलात्कार किया। उस बच्ची की वहीं पर मौत हो गई। यह ढाई साल की बच्ची थी। यवतमाल में एक गांव की यह बात है। जब वहां के लोगों को पता चला तो उन्होंने उन आरोपियों को उस जगह पर पकड़ लिया। लेकिन भंडारा जिले में इन आरोपियों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। पुलिस ने इन्हें पकड़ा नहीं, स्वयं पुलिस, महाराष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी, विशेष आईजी भंडारा जिले में गए, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारी पुलिस की गलती से आरोपियों को पकड़ा नहीं गया है, विलम्ब हुआ है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इन्हें कुछ आर्थिक मदद मिली जरूर है, यहां से कुछ जांच दल भेजा जाए। इन मामलों में फास्ट ट्रेक के माध्यम से मामला चलाया जाए।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, this is a very serious matter being raised.

श्री हंसराज गं. अहीर : इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर, आरोपियों को दण्डित करने के लिए, फांसी की सजा देने के लिए आप राज्य सरकार को सूचित करें और यवतमाल जिले में जो घटना हुई है, ढाई साल की बच्ची का बलात्कार होने के बाद, हत्या होने के बाद भी राज्य सरकार का कोई मंत्री वहां नहीं पहुंचा है और उन्हें कोई भी आर्थिक मदद या सहायता नहीं मिली है। जो घटना दिल्ली में हुई है, दिल्ली में जो गैंगरेप हुआ था, उसमें जिस गंभीरता से केन्द्र सरकार ने दखल लिया था, उससे ज्यादा गंभीर यह मामला बनता है। जो सहायता केन्द्र सरकार ने दिल्ली गैंगरेप में दी, वह सहायता उस परिवार को मिलने के लिए आप मदद करें, आदेश-निर्देश दें। वहां इसके लिए जांच दल भेजें, यह मैं मांग करता हूं।

अध्यक्ष महोदया :

श्री हरिभाऊ जावले,

श्री राजेन्द्र अग्रवाल,

श्री गणेश सिंह अपने आपको श्री हंसराज गं. अहीर जी के विषय के साथ संबद्ध करते हैं।

यह बहुत ही दुखद घटना है, बहुत शर्मनाक घटना है। दिल्ली में 16 दिसम्बर को ऐसा हो चुका है, इससे पहले भी होता रहा है, हमेशा होता रहा है, खासकर के बच्चियों के साथ, कमजोर वर्ग की महिलाओं के साथ और अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कृपया, जो सरकार है, वह इस ओर बहुत मजबूत कदम उठाये ताकि इस तरह की दुखद घटनायें न हों। यह बहुत ही चिन्ता का विषय है और यह सब समाप्त हो।

The House stands adjourned to meet again at 2.20 p.m.

13.21 hrs

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Twenty Minutes

past Fourteen of the Clock.

14.20 hrs

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Twenty

Minutes past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)